**Annexure – XXVII**

# उत्तरांचल सूचना आयोग
## सैक्टर 1, सी–10 डिफैंस कालोनी, देहरादून
**दूरभाष : 0135 – 2666778, 2666779**

पत्रांक : 131/उ.सू.आ./मु.सू.आ./सुझाव/2005 दिनांक : 28 दिसम्बर 2005

**श्री राजीव गुप्ता**
प्रमुख सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तरांचल शासन

जागृति संगठन की ओर से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्राप्त 5 सुझाव आयोग द्वारा सचिव सूचना को दिये गये अभिमत संबंधी पत्रांक 108 उ.सू.आ./मु.सू.आ./2005 दिनांक 27/12/2005 (प्रतिलिपि संलग्न) का कृपया संदर्भ करें.

2. उक्त पत्र के सुझाव संख्या 2 में यह इंगित किया गया था कि डाक से प्रार्थना/अपील प्रस्तुत करने की सुविधा के संबंध में आयोग द्वारा डाक तार विभाग तथा सूचना विभाग के माध्यम से परीक्षण कराया जा रहा है.
3. इस संबधं में मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल के कार्यालय से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसकी एक प्रति इस आशय से संलग्न की जा रही है कि डाक व तार विभाग के पास जो वर्तमान में सेवाएं उपलब्ध हैं, उसके आधार पर पोस्टल डाक से सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध करने, अथवा प्रथम अपील दायर करने अथवा आयोग को अंतिम अपील दायर करने की व्यवस्था के संबधं में सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर पर परीक्षण कराने का कष्ट करें.
4. मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय से प्राप्त जानकारी से स्पष्ट है कि यदि उपरोक्त सुविधा की व्यवस्था नियम प्रख्यापित कर के उपलब्ध कराई जाती है, तब उक्त विभाग के 2245 ब्रांच पोस्ट आफिसों, 453 सब पोस्ट आफिसों, 8 जनरल पोस्ट आफिसों तथा 13 हैड पोस्ट आफिसों के माध्यम से इच्छुक आवोदकों / अपीलकर्ताओं को डाक के माध्यम से सुविधा प्राप्त करने का विकल्क प्राप्त हो सकेगा.
5. प्रारंभिक तौर पर आयोग का अभिमत है कि ट्रेजरी रूप पत्र सं. 385 के माध्यम से आवेदन शुल्क तथा प्रतिलिपि शुल्क जमा करने की व्यवस्था सर्वोत्तम है तथा उक्त व्यवस्था के साथ साथ पोस्टल डाक का भी विकल्क प्रार्थी/अपीलकर्ता को दिलाया जाना उचित होगा. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक व्यवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में यह सुविधा केवल एक अतिरिक्त अथवा वैकल्पिक सुविधा ही हो सकती है क्योंकि इसका आच्छादन केवल उन व्यक्तियों तक ही हो पायेगा जो अपेक्षाकृत संपन्न एवं शिक्षित हैं.
6. कृपया इस महत्वपूर्ण सुझाव का सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर पर परीक्षण कर आयोग को कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें.

भवदीय

संलग्न : यथोपरि

**(आर. एस. टोलिया)**
मुख्य सूचना आयुक्त